UPMB010016272023

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा।</u>

सत्र परीक्षण संख्या–502/2023
सरकार बनाम धीरेन्द्र सिंह,
धारा 67ए0 आई0 टी0 एक्ट
मु0अ0सं0–165/2023
थाना कुलपहाड़ जिला महोबा।

<u>अतिरिक्त आरोप</u>

मैं सर्वोत्तमा नगेश शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा, आप अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँः–

यह कि आप अभियुक्त दिनांक 08.06.2023 को समय करीब 14:00 बजे दोपहर स्थान वादी मुकदमा के घर ग्राम बागौल थाना कुलपहाड़ में वादी की पत्नी को तमंचा लगाकर उसके साथ बलात्कार किया और वीवों रंग नीला मोबाइल से अश्लील वीडियों बनाया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य किया है जो कि आई0 टी0 एक्ट धारा–67ए के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद् द्वारा आप अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि आप अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 06.03.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

आरोप अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया। उक्त आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांकः 06.03.2024

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

UPMB010016272023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा।
सत्र परीक्षण संख्या–502/2023
सरकार बनाम धीरेन्द्र सिंह,
धारा 67ए0 आई0 टी0 एक्ट
मु0अ0सं0–165/2023
थाना कुलपहाड़ जिला महोबा।

आदेश

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त **धीरेन्द्र सिंह** मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित आया।

आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के उपरांत मेरी राय में यह अवधारित करने के लिए पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त **धीरेन्द्र सिंह** के विरूद्ध धारा 67ए आई0टी0 एक्ट का प्रथमदृष्ट्या अपराध बनता है।

अतः अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 04.04.2025 को पेश हो।

दिनांकः 06.03.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

Digitally signed by Sarvottama Nagesh Sharma
Date: 2025.03.06 16:19:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court